

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)
क्रमांक क/वाचक-1/2017 /367 घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017
प्रति

कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात-1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ़ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. जरेकौला
7. मौहानपाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2- उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन "आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है" के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र- 10 ग्राम का
प्रतिवेदन


अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

—:: ईशतहार::—

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक-पृथक) में ईशतहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 08 मई, 2017 तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.04.2017 को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।



अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत
सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषय:— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संदर्भ:— आपका आदेश क्रमांक 110805/भू-अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र क्रमांक क/वाचक-1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम मौहापाली, तहसील— तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपक्रम की एक



इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल ब्लॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात् भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दूरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का आयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क.) ।
- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 13 का कुल रकबा 2.38 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 11 व्यक्ति प्रभावित होंगे जिसमें 11 अनुसूचित जन जाति है। तथा 3 लघु 5 सीमांत एवं 3 सामान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है (अनु. क.) । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति का पुरी जमीन नहीं जा रही है।
- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।



- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस - पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।
- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क.) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है।
- समिति के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।
- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।
- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क.) ।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

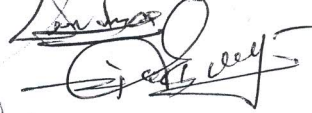
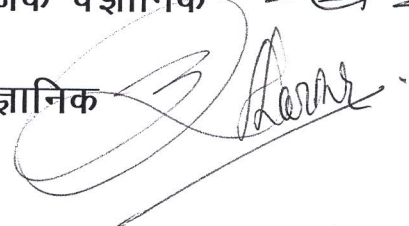
प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता



से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपक्रम द्वारा निश्चय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्या केवल 11 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम मौहापाली की खसरा नं 252/4क, 252/4ख, 295/7, 296/1ग, 295/1ख, 296/2, 257/1, 296/5, 294, 86/1, 250/4, 251/3, 295/3, रकबा क्रमशः 0.32, 0.30, 0.15, 0.03, 0.05, 0.20, 0.05, 0.14, 0.03, 0.85, 0.05, 0.15, 0.06 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी


सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनीकी विशेषज्ञ 
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि 
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि 
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक 
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक 

विषय - एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा सूचीबद्ध पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल तथा पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 4 बख्शित नियम न के अंतर्गत काम - मौदापाली, कस्बीक - तम्हार, जि. बागमर की अवधि अनुवर्ष

1) श्री गिरधारी लाल पांडे द्वारा देखे गये जमीन के जो जमीन बांटा है उसे उसी जमीन का कुछ जमीन बच जा रहा है इसके भी पुर्वावाजा राशि देने जमीन का अस्तीत्व करना,

2) सागर बरिमा मौदापाली द्वारा अपने घर के पु. पुर्वावाजा का पूरी राशि ले बख्श कर के गांधी जमीन मौजा दिखाने का

3) श्री मन्नी कुमार द्वारा अपने जमीन का ख. नं. 86/1 का बीच में जा रहा है और बख्श किताब बच रहा है इसका पुर्वावाजा प्रप्त है।

4) श्री मन्नी कुमार / मन्तर के द्वारा अपने जमीन के इ इस्तीफा जमीन का पुर्वावाजा दिया जा रहा जो कि 15-20 डिस्का है जो कि उस का पुर्वावाजा मिलना चाहिए।

5) श्री कामरा प्रसाद देवता द्वारा अपने जमीन जा रहा है लेकिन जमीन एक ही पुर्वावाजा नहीं प्राप्त हुआ है जो कि मिलना चाहिए।

① लीमनी / दिन के हवा अपने मजि.प.प.
रेल को (डोर) में रखा है जो कि एक के
लगा हुआ है (लगा भी) मुहामा.प.प. विमान
की. हवा को

ਮਾਨ. ਰਵੀਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰੇਲ (ਭੀ) ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ
ਮਾਮਾ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਪੰਚਾਨਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਾ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕੰਮਾਂ ਹਨ। ਮਾਮਾ ਜੀ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਾ ਜੀ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ
ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।

② निदेशों द्वारा एक उच्च मरुत शक्ति प्रदान करने के लिए मेरी पता निम्न म. मिले।
HTPC धर्मदासों द्वारा 1407000/रु. प्रदान की गई है।

⑧ HPLC अचिक्रियता करी 95 प्रतिशत की गुणवत्ता परीक्षा की जा सकती है।

[illegible]

[illegible]

(13) श्रीमती इंजोरी काई डाय- अपने जमीन आने के
हवा मिलान मध्य जो डिप्टी पटेल को हवा दे।
कि मुकाम का ठे डिप्टील जमीन ५ हाथ ११ ए.
२॥ रि- किं अति वा जानवारी दिना मध्य

14) मन. उपस्थित अ. प. धारणा - इसी स्थिति में
के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्त करने का मान्यता है।
यह - यदि वे किसी के अन्तर्गत के ही-यों लक्ष्य
आता है और लक्ष्य-योजना-नीति बन रहा है तो
उत्तर में प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य प्राप्त करने के लक्ष्य

2024 OCT 12 20:49 (2) 5025 km/h

~~Mathy~~
~~2009~~
~~g. b. mathy~~

पुस्तक

सामाजिक समाधान जनसुनवाई, ग्राम - मोहपाल

उपस्थित व्यक्ति

दिनांक - 28

द्वारा

क्रमांक

नाम

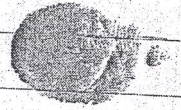
①

युनी राम पैकरा

युनी राम

②

जनार राबिया



③

दया राम राबिया

दयाराम

④

धन्सीराम

धन्सीराम

⑤

रतन साय

रतनसाय

⑥

उमेश राबिया

उमेश

⑦

रूपी कुमार

रूपी कुमार

⑧

रुशील कुमार

रुशील

⑨

चक्रधर चक्रधर

⑩

मोतीराम

मोतीराम

⑪

कमल साय

कमल साय

⑫

संतु राम

संतु राम

⑬

शिव कुमार

शिव कुमार

⑭

हेड्डा राम

हेड्डा राम

16.

(15)

पुनीराम

पुनीराम

(16)

रघुराम

रघुराम

(17)

गंगा प्रसाद

गंगा प्रसाद

(18)

सुरवराम

सुरवराम

(19)

कार्तिकराम

कार्तिकराम

(20)

नन्द कुमार

नन्द कुमार

(21)

सागर

सागर

(22)

कार्तिकराम

(23)

शंकर राविका

शंकरराम

(24)

जीवन

जीवन

(25)

मोटेर राविका

मोटेर

(26)

मोटेर

(27)

उधवसाहू

उधवसाहू

(28)

कामत प्रसाद वैजा

कामत

(29)

सुकान्ती वैजा

सुकान्ती

(30)

वीन्दा बाई

वीन्दा

30 धनमालिकाई

धनमाली

31 सोगना वार्ड

सोगना वार्ड

32 हसीरमली वार्ड

हसीरमली

23 मंगली वार्ड

मंगली

34 लोक कुमारी

लोक कुमारी

35 सावमाली

36 वीरमाली वार्ड

37 वीरमाली वार्ड

38 मंगमाली

39 सामरमाली

40 सुमीत्रा

41 ईन्जोरी

42 कुमारी

43 पंचानन

44 जगन्नाथ

कुमारी

ईन्जोरी

कुमारी वार्ड

पिछ

जगन्नाथ

45

महेशराम कोटवाल

महेशराम पांडव

46

रामलाल नाग पटवारी

[Signature]

47

अमरसराय

अमरसराय

48

बी.ए. नैकमी नरवह

[Signature]

49

संजय अश्ववाल उपाध्यक्ष
आप धरम

[Signature]

50

डिगेश पटेल
सहस्रिका, मंगर

[Signature]

51

डॉ. एन. शर्मा डॉ. डी. श्री
के.पी.परि. मंगर उ.प. मंगर उ.प. मंगर उ.प.

[Signature]

52

हमरा कुमारा राठिया

28/11/16
[Signature]

53

जे.पी. खुरे PWD मंगर उ.प.

28/11/16

54

अचि. गा. पं. मंगर उ.प.

[Signature]
28/11/16

55

56

57

58

59

ग्राम मोहापाली प0ह0नं0 राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ (छ.ग.)

प्रभावित खातेदार का विवरण

क्रमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल एकबा हेक्टेयर	एकबा अर्जित (हेक्टेयर)	एकबा अर्जित (ए0)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू-खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किसम जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	सागरमती बेवा जयलाल मु0 मनकुमारी बे. जयलाल गायत्री, चित्रसेनी, उमेशकुमार पिता जयलाल जाति कंवर	252/4 क	0.130	0.129	0.32	2.595	असिंचित	उड़द	AM	ST
2	श्यामकुमार व0 जयलाल जाति कंवर	252/4 ख	0.121	0.121	0.30	0.121	असिंचित	उड़द	S	ST
3	गुरवारी, गुरुदाई, भोजकुमारी पि0 डोकरी, बुधयारीन बेवा डोकरी जाति कंवर	295/7	0.061	0.061	0.15	0.861	असिंचित	धान	S	ST
4	दिलेश्वर, जागेश्वर, अशोक कुमार पिता मोतीराम, मु0 बासमती बे0 मोतीराम जाति कंवर	295/1 ग	0.128	0.012	0.03	1.808	असिंचित	धान	L	ST
5	परिराम पिता मकुन्दराम जाति कंवर	295/1 ख	0.127	0.020	0.05	1.057	असिंचित	धान	L	ST
6	जनार व. कपाट जाति कंवर	296/2	0.101	0.081	0.20	2.513	असिंचित	धान	AM	ST
7	निरंजन पिता अमरसाय जाति कंवर	257/1	0.789	0.020	0.05	1.664	असिंचित	धान	L	ST
8	अमरसाय व0 प्रेमसाय व0 नंवरसाय पिता तिलकराम जाति कंवर	296/5	0.368	0.057	0.14	14.679	असिंचित	धान	O	ST
9	रामरतन व0 बाबूलाल पिव सोनसाय, सकूल व0 बंधन	86/1	0.421	0.340	0.85	0.421	असिंचित	धान	S	ST
10	चकधर व0 पूरन	250/4	0.081	0.020	0.05	0.081	असिंचित	धान	S	ST
11	महेतर पि0 सागर, दर्शन व0 आनंद, मंगवती, करमवती पि0 बुड़गा	251/3	0.279	0.060	0.15	0.279	असिंचित	धान	S	ST
योग	11	13	3.140	0.957	2.38	26.322				

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी राजस्थान सरकार

Dated
05/04/2016

सन्दर्भ: माननीय जिला अधिकारी के पत्र क्रमांक 11805/
भूअर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/12/2016

विषय: भूअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
की धारा के अन्तर्गत ग्राम मोहापाली तहसील तमनार जिला
रायगढ़ की रिपोर्ट

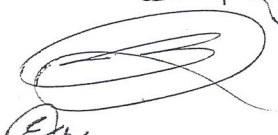
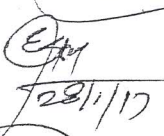
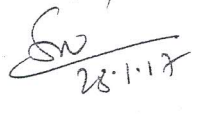
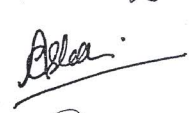
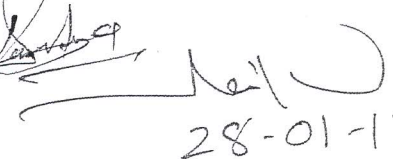
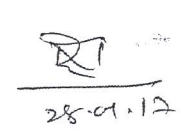
उपरोक्त सन्दर्भ के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्थान
सरकार की उपस्थिति में विशेषज्ञ समूह के दल द्वारा दिनांक
28/12/2016 को रायगढ़ में उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में वेब
ऑर्गेनाइज की गयी वेब के पद विहित हुआ कि ग्राम
मोहापाली की निजी भूमि का अधिग्रहण पुराने अधिनियम
के आधार पर हुआ है। अज्ञात कारणों से कुछ निजी भूमि
का अधिग्रहण शेष रह गया है जो कि पुनः प्रस्तावित है
और इस भूमि का अधिग्रहण परियोजना को पूर्ण करने के
लिए अति आवश्यक है पुनः प्रस्तावित भूमि का एकका
1.27 एकड़ है और प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई 1.460
कि.मी. है।

प्रस्तावित भूमि का भूअर्जन रेलवे लाइन के मापदण्ड
के आधार पर किया गया है जिसमें दोहरी लाइन का निर्माण
लाइन के फोरमेशन की उंची एक फोरमेशन के हल्के
तथा भविष्य में दिन प्रतिदिन ट्रैक की मरम्मत के लिए
आवागमन के लिए उपयोग में आने वाली भूमि तथा पानी
निकास के लिए नाली का भी ध्यान रख कर किया गया है।

अतः यह सत्यापित किया जाता है कि ग्राम मोहापाली
में भूअर्जन रेलवे ट्रैक के मापदण्ड के आधार पर किया गया है
अनावश्यक भूमि आवंटित नहीं की गयी है।

(हस्ताक्षर)
हरीश चंद सेवानिवृत्त कार्यपालन
अभिभूता (निर्माण) ई.ई. फ
रेलवे विलासपुर

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली केल
माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का
सामाजिक समाचार निधीकरण एवं प्रबंधन हेतु
प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट
कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित
सदस्य गांव उपस्थित थे।

- | नाम | हस्ताक्षर |
|---|--|
| 1. — गांधी वरुण - | 
28/1/17 |
| 2. — योगेश शर्मा - | 
28/1/17 |
| ③ Harlal - | 
28/1/17 → 8109188088 |
| ④ श्री Dixit - | 
→ 9425235366 |
| ⑤ Sudh. V. Dandekar | 
28/1/2017 → 9826370111 |
| ⑥ S. Jayaraman | 
28.1.17 |
| ⑦  |  |
| ⑧ राधेश्यामरायण |  |
| ⑨ C.M. Naik (GM.TL) | 
28-01-17 |
| ⑩ N.M. Swain, Sr. Mgr., Temp | 
28-01-17 |